(वाद सं0–902/4/4/2023)

23.01.2024

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, शशि रंजन सिंह, द्वारा ग्राम–फुलमल्लिक थाना, थाना–साहेबपुर कमाल, जिला–बेगूसराय में अवैध हथियार और शराब के धंधे की सूचना पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय को दिये जाने के बाद थानाध्यक्ष, साहेबपुर कमाल और उत्पाद के अधिकारियों द्वारा परिवादी तथा उसके परिवार की जान–माल की हानि की साजिश किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय** से प्रवितेदन की माँग की गई। **पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **‘‘ जाँच के क्रम में पता चला कि परिवादी के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि फुलमलिक पंचायत का एक लड़का शराब के नशे में धुत होकर गॉव के पोखर में गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा फुलमलिक गॉव मृतक ललन कुमार पटेल की माँ रंजना देवी, उम्र–55 वर्ष पति स्व0 चन्द्रशेखर महतो एवं ग्रामीण आलोक कुमार, पिता–स्व0नारायण प्रसाद सिंह, पंचायत समिति सदस्य दोनो ग्राम फुलमलिक थाना साहेब कमाल जिला–बेगूसराय से पुछताछ किये तो बताया गया कि मृतक ललन कुमार पटेल, छठ पर्व को लेकर गॉव के पोखर की साफ–सफाई करने अपने दोस्त के साथ गया हुआ था और साफ–सफाई के बाद स्नान करने के दौरान पैर फिसल जाने के कारण पानी की गहराई में जाने से ललन कुमार पटेल, की मृत्यु हो गयी। मृतक ललन कुमार पटेल, के शव को काफी खोजबीन किया गया परन्तु नहीं मिलने पर एन0डी0आर0एफ0 की टीम के द्वारा खोजबीन कर शव को निकाला गया। आगे यह भी बताए कि छठ पर्व के कारण मृतक ललन कुमार पटेल शराब नहीं पिये हुए थे। उक्त के सम्बन्ध में जब मृतक की पत्नी पूजा देवी, से पूछताछ किया गया तो बतायी कि ये घटना के पूर्व से ही हरियाणा में थी। जो जानकारी होने पर गॉव आये तो पता चला कि छठ पर्व को लेकर इनके पति छठ घाट को सफाई करने गये हुए थें तो पानी में डुबने से इनके पति की मृत्यु हो गयी। इनके पतिशराब नहीं पिये थें, इस सम्बन्ध में साहेबपुर कमाल थाना यू0डी0 काण्ड संख्या–23/22, दिनांक–30.10.**

2022 दर्ज किया गया है। मृतक ललन कुमार पटेल, का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त है, जिसके अवलोकन से विदित है कि चिकित्सक के द्वारा मृतक ललन कुमार पटेल, का मृत्यु पानी में डुबने के कारण बताया गया है।

परिवादी, शशि रंजन, के द्वारा अपने आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि फुलमलिक गॉव के नौजवानशराब एवं गाँजा के नशें में धुत रहता है एवं गाँव के एक लड़का अमरजीत कुमार, पिता–श्री अरविन्द सिंह, दूसरे राज्यों सेशराब मंगवाकर गाँव में आपूर्ति करता है, जिस सम्बन्ध में साहेबपुर कमाल थानाध्यक्ष एवं अन्य पुलिसकर्मी के द्वारा पूर्व में भी तथा आज दिनांक–23.12.2022 को भी अमरजीत कुमार, पिता–अरविन्द सिंह, ग्राम–फुलमलिक, थाना–साहेबपुर कमाल, जिला–बेगूसराय के घर पर जाकर विधिवत छापामारी किये परन्तु पूर्व में तथा आज भी अमरजीत कुमार, के घर से कोई अवैधशराब एवं अन्य अवैध वस्तु बरामद नहीं हुआ, जिस सम्बन्ध में मेरे द्वारा अनंत कुमार, पे0–बाल्मिकी प्रसाद सिंह (पूर्व उप–मुखिया) ग्राम–फुलमलिक, थाना–साहेबपुर कमाल, जिला–बेगूसराय से पुछ्ताछ किये तो बताए कि अमरजीत कुमार किसी तरह का अवैध गतिविधि में संलिप्त नहीं रहता है, जो अमरजीत कुमार, हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी, खगड़िया में काम करता है और सुबह अपने घर से खगड़िया जाता है औरशाम को ही अपने घर पर आता है। इसी तरह महाल चौकीदार मुरारी कुमार, थाना साहेबपुर कमाल से भी अमरजीत कुमार के घर से कुछ ही दुरी पर इनका घर है, जो अमरजीत कुमार हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी, खगड़िया में काम करता है, वह शराब का व्यवसाय नहीं करता है। अगर करता तो मेरे द्वारा महाल चौकीदार, मुरारी कुमार, द्वारा थानाध्यक्ष को सूचना जरूर दिया जाता।

प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि अमरजीत कुमार, पिता–अरविन्द सिंह, के घर की छापामारी के दौरान वहाँ पर अन्य ग्रामीण लोग जुट गये तो उसमें से एक परमिल कुमार, पिता–राम इकबाल सिंह, ग्राम–फुलमलिक, थाना–साहेबपुर कमाल, जिला–बेगूसराय के द्वारा बताया गया कि परिवादी, शशि रंजन सिंह, जो

वर्तमान में फकीरा चौक टॉऊन थाना + जिला–दरभंगा में अपने परिवार के साथ रहते है तथा परिवादी,शशि रंजन सिंह, का छोटा भाई, आलोक रंजन, सहारा इण्डिया का एल0आई0सी0 एजेन्ट है, जो अमरजीत कुमार, से वर्ष–2016 में बीस हजार रूपया सहारा इण्डिया में एल0आई0सी0 कराने के नाम पर लिया था, जिसके कुछ दिनों के बाद अमरजीत कुमार, आलोक कुमार रंजन, से एल0आई0सी0 का रसीद की माँग किये तो आलोक रंजन, के द्वारा रसीद नहीं दिया गया और पैसा भी लौटाया नहीं गया। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी,शशि रंजन सिंह, के भाई, आलोक कुमार रंजन, अमरजीत कुमार, से एल0आई0सी0 के नाम से पैसा लिये है, जिस कारण अमरजीत कुमार, के द्वारा अपने पैसा की माँग करने को लेकर परिवादी, शशि रंजन सिंह, से विवाद चल रहा था, उसी को लेकर परिवादी, शशि रंजन सिंह, के द्वारा एक झूठा आरोप लगाकर अमरजीत कुमार, पर शराब बेचने का आरोप लगाया गया है। परिवादी के द्वारा अपने आवेदन में लगाया गया आरोप तथ्य से परे है।''

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में पुलिस प्रतिवेदन का सकारण प्रतिवाद किया गया है तथा उसका कथन है कि पुलिस प्रतिवेदन में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, वह सभी तथ्य असत्य है।

प्रसंगाधीन मामले को प्रथम दृष्टतया मानवाधिकार हनन का मामला पाकर राज्य आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले की अपने स्तर से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना से अनुरोध किया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना का जाँच प्रतिवेदन संचिका के (पृष्ठ 78–77/प0) पर रक्षित है।

अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में यह निष्कर्ष दिया गया है कि ''परिवादी शशि रंजन सिंह, के द्वारा उनके लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में पर्याप्त एवं ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। जाँच के क्रम में परिवादी

के समक्ष अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बलिया, बेगूसराय को साहेबपुर कमाल थाना के चौकिदार मुरारी कुमार, के बारे में आवश्यक जाँच कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही थाना को गश्ती करने एवं परिवादी जब अपने गाँव जाये तब संबंधित थाना को अपने स्तर से सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्रवाई करे। अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि यदि मान्य हो तो पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय को तत्संबंधी कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा सकता है।''

प्रसंगाधीन मामला अवैध हथियार एवं शराब के धंधे की सूचना देने वाले परिवादी और उसके परिवार की जान–माल की सुरक्षा से सम्बन्धित है।

पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय से यह अनुरोध है कि वह परिवादी और उसके परिवार की जान–माल की सुरक्षा हेतु अपने स्तर से कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करे।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ 78–77/प0) की प्रति संलग्न पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजते हुए इसकी एक प्रति परिवादी को भी उपलब्ध करा दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक